भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2278

जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026/9 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

फतेहगढ़ साहिब में उर्वरक की उपलब्धता

2278. डॉ. अमर सिंहः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में बुआई के मौसम के दौरान कथित कमी को ध्यान में रखते हुए यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरकों की उपलब्धता और समय पर आपूर्ति की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के आवंटन के लिए क्या नीति है और उक्त राज्य को आपूर्ति के साथ मांग के अनुरूप होने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;
(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्य में उर्वरकों के विपथन, कालाबाजारी या जमाखोरी के मामलों का पता चला है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर वर्ष-वार क्या कार्रवाई की गई है;
(घ) उर्वरकों के भंडार की वास्तविक समय पर निगरानी, वितरण और व्यस्ततम कृषि मौसमों के दौरान समय पर पुनःआपूर्ति के लिए क्या तंत्र स्थापित किया गया है; और
(ङ) उर्वरकों की आपूर्ति को सुदृढ़ करने, वितरण दक्षता में सुधार करने और किसानों को अधिसूचित मूल्यों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ.): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में उठाए जाने वाले कदम इस प्रकार हैंः

I. प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आकलित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों का यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा में आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

II. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

III. यूरिया और अन्य उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) तथा उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मौसम में किए जाने वाले आयात को भी पहले से ही अंतिम रूप दे दिया जाता है।

IV. राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

V. पर्याप्त रेक देने, उर्वरकों को प्राथमिकता देने और राज्यों के लिए रेकों की समय पर निकासी के लिए रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

VI. राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, चल रहे खरीफ मौसम 2026 के दौरान पंजाब राज्य में उर्वरकों नामतः यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की उपलब्धता पर्याप्त बनी रही, जो निम्नानुसार है:

पंजाब					
चल रहे खरीफ मौसम 2026 (दिनांक 01.04.26 से 26.07.2026 तक) के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता					
					आंकड़ें एलएमटी में
क्र.सं.	**उत्पाद**	**आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**डीबीटी बिक्री**	**दिनांक 26.07.2026 तक शेष स्टॉक**
1	यूरिया	12,09,677	15,46,520	12,28,610	3,18,220
2	डीएपी	1,55,161	2,45,390	1,37,300	1,08,090
3	एमओपी	58,387	64,480	22,160	42,310
4	एनपीकेएस	49,194	50,330	19,130	31,200

इसके अलावा, पंजाब राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार सभी उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और किसी भी कमी को रोकने के लिए बुवाई के मौसम के दौरान यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरकों की उपलब्धता और आपूर्ति की नियमित रूप से समीक्षा करती है, साथ ही सभी जिलों में समान वितरण की गारंटी भी देती है। तदनुसार, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में चल रहे खरीफ मौसम 2026 के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता और बिक्री के बारे में राज्य द्वारा दी गई जानकारी निम्नानुसार है:

उर्वरक	उपलब्धता	बिक्री
यूरिया	38377	28662
डीएपी	4260	2534
अन्य	2300	1476

पंजाब राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि वे किसानों को निरंतर शिक्षित कर रहे हैं और उन्हें विभिन्न माध्यमों से अधिसूचित कीमतों पर उर्वरक खरीदने के लिए जागरूक कर रहे हैं।

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) राज्य सरकार के साथ परामर्श करके कालाबाजारी, जमाखोरी, घटिया उर्वरक पाए जाने और विपथन संबंधी मामलों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई की साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से निगरानी कर रहा है। डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा दी गई सूचनानुसार, पंजाब राज्य में, वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27 (01.04.2026 से 17.07.2026 तक) 8,789 छापे मारे गए हैं जिनमें चूककर्ताओं के खिलाफ 506 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, 113 लाइसेंस निलंबित/रद्द कर दिए गए हैं और 23 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

यूरिया सब्सिडी स्कीम के तहत, किसानों को सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर यूरिया उपलब्ध कराया जाता है। 45 किग्रा यूरिया की बोरी का एमआरपी 242 रुपए प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभार और यथा लागू करों को छोड़कर) है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, देश के सभी किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है।

सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम लागू की है। एनबीएस स्कीम के तहत, पीएंडके उर्वरक के एमआरपी को नियंत्रणमुक्त रखा गया है और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढाव के अनुसार उचित स्तर पर एमआरपी नियत करने के लिए स्वतंत्र हैं। एनबीएस सब्सिडी अधिसूचित पीएंडके उर्वरकों पर उनमें निहित पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर मौसम के दौरान उनकी पीओएस बिक्री पर निर्माता/आयातक को प्रदान की जाती है ताकि किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। पीएंडके उर्वरकों के लिए एनबीएस दरें निर्धारित करते समय प्रमुख उर्वरकों और कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव पर विचार किया जाता है ताकि किसानों के लिए उर्वरक वहनीय बने रहें।

डीएपी जो कि एक प्रमुख उर्वरक है, को 1350 रूपए प्रति 50 किलोग्राम बोरी की किफायती कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए, 3500 रु प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान किया गया है जिसमें 'अन्य लागतों', जैसे कारखाने के गेट से फार्म गेट तक की लागत, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि/कमी के कारण लाभ/नुकसान को कवर करने, एमआरपी में शामिल जीएसटी घटक के लिए प्रावधान और निवल एमआरपी (एमआरपी-जीएसटी) के 4% की दर से उचित रिटर्न का प्रावधान शामिल हैं। ये प्रावधान खरीफ 2026 मौसम के लिए एनबीएस सब्सिडी के अलावा आयातित और घरेलू डीएपी दोनों तथा आयातित टीएसपी के लिए भी किया गया है ताकि उर्वरकों की कीमतों को स्थिर रखा जा सके।
